तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भंवरसिंह बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 249/2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.21	अपीलार्थी भंवरसिंह पुत्र कोजसिंह राठौड़, पता ग्राम पोस्ट सेखाला त. सेखाला जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.09.20 में उसके द्वारा (1) राजस्व गांव अजीतगढ पंस सेखाला तहसील सेखाला पूर्व ग्राम पंचायत सेखाला के आदेश कमांक राजस्व/बंटवाड़ा 2007/1608 में ख.नं. 314, 312, 422, 423, 313 की बंटवाड़ा फाईल मूल की प्रमाणित छाया प्रतियां एवं सभी खसरों का ट्रेस नक्शा की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2020 को भ्रामक सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बालेसर) से जरिये पत्रांक 622 दिनांक 22.1220 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केवल उपलब्ध सूचना दिये जाने का प्रावधान है सूचना तैयार कर या संकलित कर दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अलग अलग तहसील कार्यालयों से संबंधित थी जिस हेतु आवेदन धारा 6(3) के तहत तहसील सेखाला तथा तहसील शेरगढ को इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ.अ./2020/493–494 दिनांक 25.09.20 को स्थानान्तरित कर प्रार्थी को सूचित किया था एवं इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना जरिये पत्रांक 515 दिनांक 20.10.20 प्रार्थी को प्रेषित किया गया। चूंकि तहसीलदार बालेसर द्वारा बिन्दु संख्या–1 से संबंधित सूचना प्रार्थी को दी जा चुकी है तथा दी गई सूचना भ्रामक कैसे है, अपील में स्पष्ट नहीं किया है। अन्य बिन्दुओं की सूचना तहसील सेखाला एवं तहसील शेरगढ कार्यालय से संबंधित होने के कारण संबंधित तहसीलदारों को प्रार्थना पत्र विधिक प्रकिया के तहत स्थानान्तरित किया गया। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है अतः लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ एवं सेखाला) को निर्देशित किया जाता है कि उनके कार्यालय से संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	